48. G.S.R. 717 dated the 16th September, 1987 ;
49. G.S.R. 807 dated the 14th October, 1987 ;
50. G.S.R. 152 dated the 9th January, 1988 ;
51. G.S.R. 3 dated the 22nd December, 1988 ;
52. G.S.R. 741 dated the 19th September, 1989 ;
53. G.S.R. 288 dated 17th April, 1990 ;
54. G.S.R. 200 dated 22nd April, 1992 ;
55. G.S.R. 623 dated 2nd December, 1993 ;
56. G.S.R. 436 dated 8th August, 1994 ;
57. G.S.R. 548 dated 5th November, 1994 ;
58. G.S.R. 561 dated 12th November, 1994 ;
59. G.S.R. 560 dated 12th November, 1994 ;
60. G.S.R. 604 dated 17th November, 1994 ;
61 G.S.R. 6 dated 30th December, 1994 ;
62. G.S.R. 58 dated 24th January, 1995 ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1995

सा. का. नि. 445 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में उप नर्सिंग अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए, जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप नर्सिंग अधीक्षक	5 (पांच)* *(1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :— ऐसा सहायक नर्सिंग अधीक्षक, जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि, यदि विहित हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
प्रोन्नति के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक (संबंद्ध) —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) —सदस्य 3. नर्सिंग सलाहकार —सदस्य 4. उप-निदेशक (प्रशासन) (संबंद्ध) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[संख्या ए. 12018/60/89—आर. आर./एम. ई. (पी. पी) डैस्क]
आर. रामसूर्ति, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th September, 1995

G.S.R. 445.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Nursing Superintendent in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hopsital, New Delhi (Group 'B', Gazetted post) Recruitment Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Scehdule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for apptintment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other gorunds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other spcial categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post
1	2	3	4	5
Deputy Nursing Superintendent	5 (Five) (1995)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputations/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion deputation/transfer to be made.
9	10	11	12
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion : Assistant Nursing Superintendent with 2 years regular service in the grade. Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion : 1. Additional Director General/Deputy Director General (concerned) —Chairman 2. Director (Administration and Vigilance) —Member 3. Nursing Adviser —Member 4. Deputy Director Administration (Concerned) —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[No. A—12018/60/89-RR/ME(UG)Desk)]

R. RAMAMURTHY, Desk Officer